

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/57/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय - प्र.सं. 57 / 2024 अनवान नरेंद्र पिता अणदा उर्फ आनन्दाराम निवासी टीकड बनाम रघुनाथ पिता कल्याण निवासी टीकड, बाबू श्री लाल मीणा निवासी टीकड, विष्णु पिता श्रीलाल मीणा निवासी टीकड, रामकिशन पिता गोपी मीणा निवासी टीकड, चंद्रसिंह पिता बाबूलाल मीणा निवासी टीकड, परमेश्वर पिता बाबूलाल मीणा निवासी टीकड, रघुवीर सिंह पिता बाबूलाल मीणा निवासी टीकड, शैतान पिता भूराराम मीणा निवासी टीकड, कप्तान पिता भूराराम मीणा निवासी टीकड, हरि सिंह पिता भूराराम निवासी टीकड, रामगोपाल पिता छोटू लाल मीणा निवास टीकड, अनीता पिता अणदा मीणा निवासी टीकड, अनीता पत्नी गोविंद मीणा निवासी टीकड, उर्मिला पत्नी अणदा मीणा निवासी टीकड, कप्तान पिता भूरा मीणा निवासी टीकड, अरविंद पिता अणदा मीणा निवासी टीकड, खुशवीर पिता गोविंद संरक्षक नाबालिक माता अनिता कुमारी मीणा निवासी टीकड, विजयलक्ष्मी पिता अणदा मीणा निवासी टीकड, शैतान पिता भूरा मीणा निवासी टीकड, सुमित्रा पिता अणदा मीणा निवासी टीकड, हरला पिता देबी मीणा निवासी टीकड, हर्षित पिता गोविंद संरक्षक नाबालिक माता अनिता कुमारी मीणा निवासी टीकड, हरी पिता भूरा मीणा निवासी टीकड, तकदीर सिंह पिता प्रेम सिंह मीणा निवासी टीकड, अनिल पिता जोशी राम निवासी टीकड की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 1151, 1156, 1163/2, 1168, 1173, 1174, 1183, 1909, 2028 कुल कित्ता 09 रकबा 1.1086 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

नईद पिता अणदा उर्फ आनन्दराम निवासी टीकड

बनान

रघुनाथ पिता बाल्याग निवासी टीकड बगैरह

कितना नुकदना बा. पत्र 111,128 एत.आर.ए.

नुकदना नंबर 57 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम को समीत में जारी हुई
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अतिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैंने एकलसंयुक्त खाते की भूमि बाम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 1151, 1156, 1163/2, 1168, 1173, 1174, 1183, 1909, 2028 कुल कित्ता 09 रकबा 1.1086 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्गित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अतिभाषक/प्रार्थी की एक पतीय बहल सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। बाम टीकड प.ह. टीकड आराजी सं. 1151, 1156, 1163/2, 1168, 1173, 1174, 1183, 1909, 2028 कुल कित्ता 09 रकबा 1.1086 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु झू-अभिलेख निरीक्षक अन्तवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीट 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी नौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)